कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

Email :- deommac1710@gmail.com OFFICE CONTECT No. 07747296170

क्रमांक / / समग्र शिक्षा / निर्माण / 2024 मोहला दिनांक / 11 / 2024

:–विज्ञापनः–

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 22.11.2024 ....

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर का पत्र क्रमांक /2253/समग्र शिक्षा/पीएमश्री/2024–25 रायपुर दिनांक 27/08/2024 के अनुसार पीएमश्री योजना 2024–25 के अंतर्गत चयनित 04 पीएमश्री शालाओं में अंशकालिन योग प्रशिक्षक/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। सेवाएं इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2025 तक) गठित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से की जावेगी। भर्ती एवं पात्रता की शर्ते एवं आवश्यक शैक्षणिक आर्हताएं संबंधी विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है।

क्र0	जिलें का नाम	विद्यालयों की संख्या	प्रति अंशकालिक शिक्षकों हेतु प्रतिमाह अधिकतम मानदेय राशि रु.	रिमार्क
1	मोहला–मानपुर–अं.चौकी	04	10000/–	

रिक्त पद का विवरण

क्र0	विकास खण्ड का नाम	पीएमश्री शाला का नाम	योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों	रिमार्क
1	मोहला	शास0प्रा0शाला आलकन्हार	1	
2	मानपुर	शास0प्रा0शाला हथरा	1	
3	अं0चौकी	शास0प्रा0शाला अं.चौकी	1	
4		शास0प्रा0शाला मोंगरा	1	
कुल योग–				

पदनाम :– **अंशकालीन योगा/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक।**

मानदेय :– **10000/– मासिक**

कार्यावधि :– **31 मार्च 2025**

(निर्धारित अवधि के बाद :–स्वमेय निरस्त माना जावेगा।)

शैक्षणिक योग्यता:– स्नातक (शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा) अनुभवी अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

भर्ती की प्रकिया :– **वाक–इन–इंटरव्यू**

दिनांक :– **26.11.2024**

स्थान :– **सेजेस मोहला**

समय :– **प्रातः 11:00 बजे से पंजीयन ,**
दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक इंटरव्यू ।

आवश्यक दस्तावेज :– मार्कशीट (10वी,12वी ,स्नातक,जाति,निवास (निर्धारित स्थान पर समय पर पूर्ण दस्तावेज सहित उपस्थित होवे।

अन्य शर्तेः–

1. जिले के मूल निवासी ही इस पद हेतु मान्य होगा।
2. कार्यभार ग्रहण पश्चात निर्धारित अवधि तक त्याग पत्र स्वीकार नही होगा। इस बाबत् शपथ पत्र देना होगा।
3. निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त अन्य कियी प्रकार के भत्ते की पात्रता नही होगा।
4. उक्त पद पूर्णता अस्थायी है। किसी प्रकार का नियुक्ति आदेश जारी नहीं होगा।
5. सेवा प्रदाता द्वारा पीएम श्री विद्यालायों में बच्चों को योग/खेलों के प्रति जागरुकता एवं शिक्षण प्रदान करें।
6. शाला के समय–सारणी में संधारित रहेगा। प्रशिक्षण का समय संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधानपाठक तय करेंगें।
7. योजना और किये गये कार्य का विवरण हेतु दैनंदनी बनाना होगा। जिसे स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
8. विद्यालय प्रमुख द्वारा समय–समय दिये गये निदेर्शों का पालन करेंगे तथा सौपे गये उत्तर दायित्वों को नियोजन करेंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मोहला–मानपुर–अं.चौकी (छ0ग0)

योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक के चयन हेतु शर्तें एवं दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

1. योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक के चयन हेतु गठित चयनत समिति का संवंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होगा।
2. प्रशिक्षकों का चयन आपके द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जाना है।
3. योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक शारीरिक शिक्षा डिग्री एवं योग शिक्षा संवंधित क्षेत्र में स्नातक की डिग्री वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों की सेवाएं लिया जाना है। संवंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभवी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
4. अंशकालिक योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों का चयन इसी शैक्षणिक सत्र (31 मार्च 2025 तक) ही रहेगा। इसके बाद सेवाएं स्वतः समाप्त माना जावे।
5. प्रशिक्षकों को किसी भी प्रकार का नियुक्ति/संविदा नियुक्ति का आदेश जारी न करें, केवल कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी करें।
6. विषय वस्तु विशेषज्ञ आमने–सामने साक्षात्कार पैनल में होने चाहिए।
7. प्रशिक्षकों के चयन पश्चात् शालावार जानकारी दिये गये निर्धारित प्रारूप अनुसार देवें।
8. सेवा प्रदत्त योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों को एकमुश्त अधिकतम मानदेय प्रतिमाह 10,000/– देय होगा।
9. सेवा प्रदत्त द्वारा पीएम श्री विद्यालयों में बच्चों को योग/खेलों के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
10. पीएम श्री के स्पोर्टस 15.43 Engagement of Yoga/Sprots Teacher/Coaches के उपमद से होगा।
11. जिलें में स्वीकृत सभी पीएम श्री विद्यालयों में प्रशिक्षण अनिवार्यतः कराया जावे।
12. सेवा प्रदत्त योग/खेल शिक्षक/प्रशिक्षकों को अपने सेवाएं प्रदान करने हेतु शाला द्वारा आवंटित किया जाना है।
13. पीएम श्री विद्यालय के लिए उचित व्यवस्था एवं प्रवंधन हेतु प्राचार्य/प्रधानपाठक को जिम्मेदारी दी जाये।
14. शाला के समय–सारिणी में संधारित रहेगा। प्रशिक्षण का समय संबंधित शाला के प्राचार्य/प्रधानपाठक तय करेंगे।
15. योजना और किये गये कार्य का विवरण दैनिक डेयरी बनाए रखे। जिसे स्कूल के प्रमुख द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक होगा।
16. विद्यालय प्रमुख द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो का पालन करें तथा सौंपे गये उत्तर दायित्वों को नियोजन करें।
17. माध्यमिक शालाओं हेतु जिला मिशन समन्वयक एवं हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं हेतु जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण करेंगे एवं अपने अधिनस्थो को मॉनिटरींग हेतु निर्देशित करेंगे।
18. समग्र शिक्षा के ऑनलाईन पोर्टल में प्रशिक्षण कार्य जैसे–योग/स्मार्ट प्रशिक्षण दिया जाना है।
19. जिले द्वारा प्रशिक्षण अवधि पूर्ण समाप्ति पश्चात् एक सप्ताह के भीत पालक प्रतिवेदन (फोटोग्राफ/पेपर कटिंग) सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य कार्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करें।

13/8/24